केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

चतुर्थ तल, चन्द्रलोक बिल्डिंग, 36 जनपथ, नई दिल्ली –110 001

फोन: 23353503, फैक्स: 23753923

याचिका सं. 253/टीएल/2023 दिनांक: 1.2.2024

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 15 की उप–धारा (5) के खंड (क) के अधीन नोटिस

फतेहगढ़ III बीवर ट्रांसमिशन लिमिटेड, डीएलएफ साइबर पार्क, टावर–बी, नौंवा तल, उद्योग विहार, फेस– III, सेक्टर–20, गुरुग्राम–1220008, हरियाणा द्वारा निर्माण, स्वामित्व, प्रचालन और अंतरण (बीओओटी) आधार पर "फेस III–भाग जी के अधीन राजस्थान (20 जीडब्ल्यू) में आरईजेड से विद्युत की निकासी के लिए पारेषण प्रणाली" ("परियोजना") की स्थापना के लिए पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम) की धाराओं 14, 15 और 79(1)(ड) के अधीन आवेदन किया गया है:

फेस III भाग जी के अधीन राजस्थान (20 जीडब्ल्यू) में आरईजेड से विद्युत की निकासी के लिए पारेषण प्रणाली		
क्र. सं.	पारेषण घटक का नाम	प्रभावी तारीख से मास में अनुसूचित सीओडी
1.	फतेहगढ 3 – बीवर 765केवी डी/सी लाइन के प्रत्येक सिरे पर प्रत्येक सर्किट के लिए 330 एमवीएआर स्विचेबल लाइन के साथ फतेहगढ़ 3–बीवर 765 केवी डी/सी (द्वितीय) – 765 केवी 330 एमवीएआर स्विचेबल लाइन रिएक्टर के लिए स्विचिंग इक्विपमेंट – 4 नंबर – 765 केवी, 330 एमवीएआर स्विचेबल लाइन रिएक्टर – 4 नंबर	18 मास
2.	बीवर एवं फतेहगढ–3 दोनों पर 765 केवी लाइन बे के 2 नंबर – 765केवी लाइन बे – 4 नंबर	

नोट:

i. फतेहगढ–3 एस/एस का विकासकर्ता 765 स्विचेबल लाइन रिएक्टरों के लिए स्थान के साथ फतेहगढ़–3 एस/एस पर 765केवी लाइन बे के 2 नंबर के लिए स्थान प्रदान करेगा।

ii. बीवर एस/एस का विकासकर्ता 765 स्विचेबल लाइन रिएक्टरों के लिए स्थान के साथ बीवर एस/एस पर 765केवी लाइन बे के 2 नंबर के लिए स्थान प्रदान करेगा।

2. आवेदक को अधिनियम की धारा 63 के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार पीएफसी कंसलटिंग लिमिटेड (पीएफसीसीएल) द्वारा की गई प्रतिस्पर्धात्मक बोली के आधार पर ₹ 1357.57 मिलियन प्रति वर्ष के निम्नतम स्तरीकृत पारेषण प्रभारों के साथ पारेषण सेवा प्रदाता के रूप में चयनित किया गया है।

3. सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने दिनांक 6.9.2023 के अपने पत्र द्वारा प्रस्तावित पारेषण प्रणाली की स्थापना के लिए आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु संस्तुत किया है।

4. रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्री के आधार पर, आयोग ने याचिका सं. 253/टीएल/2023 में दिनांक 1.2.2024 के आदेश द्वारा उपर्युक्त पैरा 1 में यथोल्लिखित पारेषण योजना की स्थापना हेतु आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति जारी किए जाने का प्रस्ताव किया है।

5. फतेहगढ III बीवर ट्रांसमिशन लिमिटेड को अंतरराज्यिक पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु आवेदक द्वारा आयोग के समक्ष किए गए अनुबंध एवं अनुलग्नकों सहित आवेदन की प्रति को वेबसाइट www.sterlitepower.com पर देखा जा सकता है या निर्धारित क्रियाविधि का अनुपालन करते हुए आयोग के कार्यालय में किसी व्यक्ति द्वारा इसका निरीक्षण किया जा सकता है।

6. नोटिस, अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (5) के खंड (क) के अनुसरण में दिया गया है कि उक्त के अनुसार, आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु आयोग के प्रस्ताव में सुझावों या आपत्तियों, यदि कोई हो, को उक्त पते पर दिनांक **16.2.2024** तक अधोहस्ताक्षरी को भेज दिया जाए। विनिर्दिष्ट तारीख के बाद प्राप्त हुए सुझावों या आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा।

7. आयोग द्वारा दिनांक **19.2.2024** को आवेदन पर आगे की सुनवाई की जाएगी। कोई भी व्यक्ति जो सुझावों या आपत्तियों को दर्ज करता है, वह इस सुनवाई में अपने स्वविवेक से उपस्थित रह सकता है जिसके लिए आयोग द्वारा कोई टीए/डीए नहीं दिया जाएगा।

हस्ता/–

(हरप्रीत सिंह पुथी)

सचिव